

प्रेस प्रकाशनी

संसद का बजट सत्र, 2017 मंगलवार, 31 जनवरी, 2017 से आरंभ हुआ था और सरकारी कार्य की आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए यह बुधवार, 12 अप्रैल, 2017 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाएगा। दोनों सदनों को गुरुवार, 9 मार्च, 2017 को पुनः एकत्र होने के लिए गुरुवार, 9 फरवरी, 2017 को 27 दिन की मध्यावकाश अवधि के लिए स्थगित कर दिया गया है ताकि विभागों संबंधी स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदान मांगों की जांच कर सकें।

2. बजट सत्र के पहले भाग के दौरान लोक सभा की 7 बैठकें और राज्य सभा की 8 बैठकें हुईं।
3. बजट सत्र, 2017, वर्ष का प्रथम सत्र होने के नाते, 31 जनवरी, 2017 को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87(1) की शर्तों के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया तथा संसद को उसे आहूत करने के कारणों के बारे में सूचित किया। लोक सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव डॉ. महेश शर्मा द्वारा प्रस्तावित और श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा अनुमोदित किया गया। राज्य सभा में इसे श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा प्रस्तावित और डॉ. विनय पी. सहस्रबुद्धे द्वारा अनुमोदित किया गया। सत्र के पहले भाग के दौरान दोनों सदनों द्वारा इस पर चर्चा की गई और उसे स्वीकृत किया गया।
4. सत्र के पहले भाग के दौरान, वर्ष 2017-18 के लिए केंद्रीय बजट बुधवार, 1 फरवरी, 2017 को प्रस्तुत किया गया। दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा की गई।
5. बजट सत्र, 2017 के पहले भाग के दौरान, 5 विधेयक (पांचों लोक सभा में) पुरःस्थापित किए गए। लोक सभा द्वारा 2 विधेयक और राज्य सभा द्वारा 1 विधेयक पारित किया गया। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की कुल संख्या 2 है। पुरःस्थापित/पारित किए गए विधेयकों की सूची संलग्न है। बजट सत्र के पहले भाग के दौरान समय की उपयोगिता की शर्तों के अनुसार लोक सभा व राज्य सभा की उत्पादिता क्रमशः 112.65*% और 96.74*% रही।

* यह प्रतिशत 9.2.2017 को लोक सभा में अपराह्न 04.18 बजे और राज्य सभा में अपराह्न 5.00 बजे तक है।

16वीं लोक सभा के 11वें सत्र और राज्य सभा के 242वें सत्र (बजट सत्र, 2017 का पहला भाग) के दौरान निपटाया गया विधायी कार्य

I-लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए विधेयक

1. वित्त विधेयक, 2017
2. मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017
3. विनिर्दिष्ट बैंक नोट (उत्तरदायित्व का समाप्त होना) विधेयक, 2017
4. भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2017
5. निरसन और संशोधन विधेयक, 2017

II-लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017
2. *विनिर्दिष्ट बैंक नोट (उत्तरदायित्व का समाप्त होना) विधेयक, 2017

*संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड (5) के अंतर्गत, राज्य सभा में विधेयक की प्राप्ति से 14 दिनों की समाप्ति के पश्चात संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा।